न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 200/2019

1. जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर जयपुर–302004, राज0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह।

प्रार्थी

बनाम

1. पूरण सिंह राजपूत पुत्र श्री मोहन सिंह राजपूत पताः– प्लाट नं0 17 बाग वाली ढाणी, डोब जागीर, ग्राम लहरी का बास,तहसील लालसोट जिला दौसा–303505
2. रूपा कॅवर पत्नि श्री पूरण सिंह राजपूत पताः– बांगली कोठी ग्राम लहरी का बास, डोब जागीर, तहसील लालसोट जिला दौसा–303505
3. रणवीर सिंह राजपूत पुत्र श्री मूलसिंह पताः– ग्राम लहरी का बास, ग्राम एवं पोस्ट केजड. सारड.ा तहसील लालसोट जिला दौसा–303505

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री कैलाश गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांकः 31.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री पूरण सिंह राजपूत पुत्र श्री मोहन सिंह राजपूत पताः– प्लाट नं0 17 बाग वाली ढाणी, डोब जागीर, ग्राम लहरी का बास,तहसील लालसोट जिला दौसा व अन्य को 5,00,000/–(रूपये पांच लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में अंकित बंधक सम्पत्ति अप्रार्थी श्री पूरण सिंह राजपूत पुत्र श्री मोहन सिंह राजपूत की सम्पत्ति आबादी भूमि पट्टा संख्या 11 मिसल सं0 65 दिनांक 05.03.2017 क्षेत्रफल 266.67 वर्गगज ग्राम पंचायत डोब जागीर पंचायत समिति रामगढ पचवारा जिला दौसा के दस्तावेज का अवलोकन करने पर आबादी भूमि का विक्रय विलेख में सरपंच एवं सचिव की मोहर में ग्राम पंचायत डोब जागीर एवं पंचायत समिति रामगढ पचवारा (दौसा) अंकित है। जबकि न तो ग्राम पंचायत डोब जागीर बनी है और न ही विक्रय विलेख जारी करने की दिनांक 05.3.2017 को पंचायत समिति रामगढ पचवारा बनी हुई थी। उक्त तथ्य से प्रार्थी द्वारा बंधक सम्पत्ति का दस्तावेज अप्रार्थी श्री पूरण सिंह राजपूत पुत्र श्री मोहन सिंह राजपूत के पक्ष में जारी विक्रय विलेख दिनांक 05.3.2017 सन्देहास्पद होने से उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को दिलवाया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। बंधक सम्पत्ति के दस्तावेजात की सत्यता की ग्राम पंचायत से जांच करवाकर प्रमाणित प्रति सहित पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी स्वतंत्र है। आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official